एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
पंजीकृत कार्यालय : एनएचपीसी आफिस काम्प्लेक्स, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003
सीआईएन : एल40101एचआर1975जीओआई032564

टेलीफोन नं. : 0129-2588110 फैक्स नं. : 0129-2278018

वेबसाइट : www.nhpcindia.com ई-मेल आईडी : companysecretary@nhpc.nic.in

नोटिस

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों की 43वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 को प्रातः 11.00 बजे, जल तरंग ऑडीटोरियम, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 में होगी, जिसमें निम्नांकित कार्य निपटाए जाएंगे।

सामान्य कार्य :

1. निम्नलिखित पर विचार करना और उसे स्वीकार करना :

क. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल की रिपोर्ट, उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां; और

ख. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल की रिपोर्ट, उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अंतरिम लाभांश की पुष्टि करना और अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

3. श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं) (डीआईएन 06852735) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति, जो आवर्तन-आधार सेवानिवृत हो रहे हैं और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश की है।

4. श्री जनार्दन चौधरी, निदेशक (तकनीकी) (डीआईएन 06852735) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति, जो आवर्तन-आधार सेवानिवृत हो रहे हैं और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश की है।

5. वर्ष 2019-20 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना, और यदि उपयुक्त समझा जाए, निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना :

''प्रस्ताव किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142, जिसे उक्त अधिनियम के संगत प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है, और कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक), नियम 2014 (उस समय प्रवृत्त किसी सांविधिक संशोधन(नों) अथवा तत्संबंधी पुनःअधिनिगमन सहित) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल को एतदद्वारा वित्त वर्ष 2018-19 हेतु संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

आगे यह प्रस्ताव किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को एतदद्वारा ऐसे सभी कृत्य करने और कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो इन प्रस्तावों को प्रद्रावी रूप देने के लिए आवश्यक, उचित अथवा अवश्यंद्रावी हों।''

विशेष कार्य :

6. वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करना और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना :

''प्रस्ताव किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य सभी संगत प्रावधानों और कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक), नियम 2014 (उस समय प्रवृत्त किसी सांविधिक संशोधन(नों) अथवा तत्संबंधी पुनःअधिनिगमन सहित) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 हेतु कंपनी के लागत रिकार्डो की लेखापरीक्षा के संचालन हेतु नियुक्त लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण और एतद्द्वारा उसकी पुष्टि निम्नानुसार की जाती है :

(क) प्रति विद्युत स्टेशन 75,000/- रूपये (यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, कर और शुल्क को छोड़कर)।

(ख) प्रमुख लागत लेखापरीक्षक द्वारा सभी विद्युत स्टेशनों की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टो के समेकन और फार्म सीआरए-3 में समेकित लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु 75,000/-रूपए, कर और शुल्क अतिरिक्त।

आगे यह प्रस्ताव किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को एतदद्वारा ऐसे सभी कृत्य करने और कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो इन प्रस्तावों को प्रद्रावी रूप देने के लिए आवश्यक, उचित अथवा अवश्यंद्रावी हों।''

7. प्रो. (श्रीमती) कनिका टी. भाल) (डीआईएन 06944916) को कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति करना और यदि उपयु समझा जाए तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना :

''प्रस्ताव किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन में प्रो. (श्रीमती) कनिका टी. भाल) (डीआईएन 06944916), जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के आदेश सं.20/6/2017-समन्वय के माध्यम से उनके कार्यकाल के पूर्ण होने की तिथि अर्थात 17 नवम्बर, 2018 से एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया था, और बाद में 18 नवम्बर, 2018 से कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन अपर निदेशक के रूप में नियु किया गया था, उन्हें एतद्द्वारा भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाता है।''

8. श्री सत्य प्रकाश मंगल (डीआईएन 01052952) को कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियु करना और यदि उपयु समझा जाए तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना :

''प्रस्ताव किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन में श्री सत्य प्रकाश मंगल (डीआईएन 01052952), जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के आदेश सं.20/6/2017-समन्वय के माध्यम से उनके कार्यकाल के पूर्ण होने की तिथि अर्थात 17 नवम्बर, 2018 से एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया था, और बाद में 18 नवम्बर, 2018 से कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन अपर निदेशक के रूप में नियु किया गया था, उन्हें एतद्द्वारा भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाता है।''

9. प्रो. अरूण कुमार (डीआईएन 07346292) को कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियु करना और यदि उपयु समझा जाए तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना :

''प्रस्ताव किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन में प्रो. अरूण कुमार (डीआईएन 07346292), जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के आदेश सं.20/6/2017-समन्वय के माध्यम से उनके कार्यकाल के पूर्ण होने की तिथि अर्थात 17 नवम्बर, 2018 से एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया था, और बाद में 18 नवम्बर, 2018 से कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन अपर निदेशक के रूप में नियु किया गया था, उन्हें एतद्द्वारा भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाता है।''

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

हस्ता./-

(विजय गुप्ता)

कम्पनी सचिव

दिनांक : 2 अगस्त, 2019

पंजीकृत कार्यालय :

एनएचपीसी कार्यालय परिसर,

सैक्टर- 33, फरीदाबाद

हरियाणा - 121003

सीआईएन : एल40101एचआर1975जीओआई032564

टिप्पणियां :

1- बैठक में किए जाने वाले विशेष व्यापार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुपालन में एक व्याखयात्मक विवरण संलग्न है।

2- बैठक में द्राग लेने तथा मत देने के लिए पात्र होने वाला कोई सदस्य अपने स्थान पर बैठक में द्राग लेने तथा मत देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकता है। ऐसे प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधि का फार्म प्रद्रावी होने के लिए उचित रूप से पूर्ण तथा हस्ताक्षर करके इसे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के प्रारंभ होने के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवाया जाना चाहिए। खाली प्रतिनिधि फार्म संलग्न है।

   कंपनी अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुपालन में, कोई व्यक्ति 50 से अधिक न होने वाले सदस्यों और कंपनी के मताधिकार वाली कुल शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित न किए गए की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है। कंपनी की मताधिकार वाली कुल शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक धारित किया गया व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयर धारक के लिए प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करेगा। कंपनी, सोसाइटी आदि की ओर से प्रस्तुत प्रतिनिधि के साथ उचित संकल्प/प्राधिकार, जैसा लागू हो, होना चाहिए। किसी प्रतिनिधि के पास बैठक में किसी कारोबार मद पर बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

3- कंपनी की बैठक या उसमें प्रस्तुत किसी प्रस्ताव पर मत देने हेतु पात्र कोई सदस्य, एजीएम के प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय से 24 घंटे पूर्व प्रारंभ होने वाली अवधि हेतु कंपनी के व्यापार घंटों के दौरान किसी भी समय दर्ज प्रतिनिधियों का निरीक्षण करने का पात्र होगा तथा यह अवधि उक्त बैठक के समापन के साथ समाप्त होगी, बशर्ते उसने कंपनी को ऐसा निरीक्षण करने की अपनी मंशा की सूचना लिखित में उक्त बैठक के प्रारंभ होने से कम से कम तीन दिवस पहले दे दी हों।

4- कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बहियां शनिवार, 14 सितम्बर, 2019 से सोमवार, 23 सितम्बर 2019 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।

5- बैठक में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने की मंशा रखने वाले कारपोरेट सदस्यों को, बैठक में अपने प्रतिनिधि के उनकी ओर से भाग लेने या मतदान करने हेतु प्राधिकृत

करने वाले कंपनी के बोर्ड के संकल्प की एक प्रमाणित प्रति अग्रेषित करने अथवा इसे ई-मतदान पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

6- कंपनी अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं) (डीआईएन 06852735) और श्री जनार्दन चौधरी, निदेशक (तकनीकी) (डीआईएन : 07871968) आगामी बैठक में चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होते हैं तथा पात्र होने के चलते स्वयं को पुनःनियुक्ति हेतु प्रस्तुत करते हैं। श्री रतीश कुमार और श्री जर्नादन चौधरी का कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यकाल विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्रमशः 31 दिसम्बर, 2020 तथा 31 मार्च, 2020 तक है। कंपनी का निदेशक मंडल शेष कार्यकाल हेतु उनकी पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर) के विनियम 36 के अंतर्गत यथा निर्धारित किए गए अनुसार नियुक्त या पुनर्नियु किए जाने हेतु प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त परिचय संलग्न किया गया है और इस सूचना का भाग होता है।

7- 43वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 को डिपोजिट्री भागीदार (डीपी)/ रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आर एवं टीए) अर्थात मैसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (कार्वी)/ कंपनी के पास उपलब्ध पंजीकृत ई-मेल आईडी वाले शेयरधारकों को इलेक्ट्रोनिक रूप में भेजा जा रहा है। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। 43वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस और वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां उन सदस्यों को प्रेषित की जाएंगी जिनके ई-मेल के पते डीपी/आरटीए/कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। अनुषंगी कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित नोटिस से संगत दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां वार्षिक आम बैठक से पूर्व कार्य दिवसों (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश के अतिरिक्त) पर प्रातः 11:00 बजे से अपराहन 01:00 बजे तक निरीक्षण हेतु फरीदाबाद स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध होंगी।

8- जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल के पते दर्ज नहीं करवाएं है, उनसे अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस आदि को इलेक्ट्रोनिक रूप से को प्राप्त करने के लिए ई-मेल के पते को संबंधित डीपी (इलेक्ट्रोनिक धारण के मामले में) या आरटीए/कंपनी (भौतिक धारण के मामले में) को दर्ज करवाएं। वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक रिपोर्ट में ई-संप्रेषण पंजीकरण फॉर्म दिया गया है। ई-संप्रेषण हेतु पंजीकृत किए जाने के पश्चात भी सदस्य अनुरोध करने पर द्रौतिक रूप में ऐसे सम्प्रेषण को डाक द्वारा निःशुल्क प्राप्त करने के पात्र हैं और शेयरधारक अपने अनुरोध को ई-मेल आईडी companysecretary@nhpc.nic.in पर द्रेज कर इन्हें प्राप्त सकते हैं।

9- कंपनी अधिनियम के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 17 जून, 2014 के सामान्य परिपत्र संखया 20/2014 के साथ पठित संगत प्रावधानों के मद्देनजर बैठक में हाथ उठाकर मतदान की अनुमति नहीं होगी ।

10- इस बैठक की कार्यसूची के किसी भी मद के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि अपने प्रश्न कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में श्री महेश कुमार मित्तल, निदेशक (वित्त), (डीआईएन 02889021) और श्री अनुज कपूर, महाप्रबंधक (वित्त) और मुखय निवेशक संबंध अधिकारी के पास बैठक की तारीख से कम से कम 10 दिन पहले उनके पास भेज दें, ताकि अपेक्षित जानकारी बैठक में उपलब्ध कराने के लिए तैयार रखी जा सके।

11- निदेशक मंडल ने 08 फरवरी, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 7.10 प्रतिशत (0.71 रुपया प्रति शेयर) की दर से अंतरिम लाभांश की सिफारिश की है, जिसमें मार्च, 2019 में अदा किया गया। निदेशक मंडल ने 27 मई, 2019 को हुई अपनी बैठक में आगे वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 7.50 प्रतिशत (0.75 रुपया प्रति शेयर) की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। अंतिम लाभांश अगर वार्षिक आम बैठक में घोषित होता है तो इसका भुगतान कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित तिथि से पूर्व सदस्यों अथवा उनके द्वारा नामित ऐसे व्यक्तियों को किया जाएगा जिनके नाम 23 सितम्बर, 2019 को भौतिक शेयरों के संबंध में कंपनी सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होंगे। डीमैटिरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में लाभांश का भुगतान शेयरों के उन ''लाभार्थी स्वामियों'' को किया जाएगा, जिनके नाम 13 सितम्बर, 2019 को कारोबार बंद होते समय नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की लाभार्थी धारकों संबंधी विवरण में दर्ज होंगे। जिन सदस्यों ने लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया है या जिन्हें लाभांश वारंट प्राप्त नहीं हुए है, वे वारंटों को पुनः वैधीकृत करने या डुप्लीकेट वारंट प्राप्त करने के लिए आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

12- वार्षिक आम बैठक के नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके नाम शुक्रवार, 26 जुलाई, 2019 को कारोबार घंटों के अंत में सदस्यों/लाभग्राही स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है। सदस्यों से अनुरोध है कि :

(क) वार्षिक आम बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी, अतः बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन, सूचना की अपनी प्रति और पूर्णतः भरी हुई तथा हस्ताक्षरित उपस्थिति की पर्ची साथ लाएं।

(ख) संयुक्त धारकों द्वारा बैठक में द्राग लिए जाने के मामले में केवल वही संयुक्त धारक मत देने का पात्र होगा जो नामों के क्रम में ऊपर है।

(ग) सभी पत्राचारों में अपने फोलियों/क्लाइंट आईडी तथा डीपी आईडी संखया को उद्धृत करें ।

(घ) कड़े सुरक्षा कारणों से मोबाइल फोन, ब्रीफकेस, खाने की वस्तुएं तथा अन्य सामान सद्रागार के भी तर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(ङ) वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

(च) प्रवेश सदस्यों अथवा पंजीकृत प्रतिनिधियों तक ही सीमित है। तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधि को निर्धारित समय से पूर्व पंजीकृत करवा दें।

13- कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु अदा न किए गए या अदावाकृत लाभांश को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया है। कंपनी ने 27 सितम्बर, 2018 (पिछली वार्षिक आम बैठक की तिथि) के अनुसार कंपनी के पास पड़े हुए अदा न किए गए तथा अदावाकृत राशियों का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर और कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट (www.iepf.gov.in) पर भी अपलोड कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से संबंधित अदावाकृत अंतिम लाभांश राशि 15 नवम्बर, 2019 को या उससे पूर्व आईईपीएफ में अंतरण हेतु निर्धारित है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अदा न किए गए/अदावाकृत लेखे में पड़ी राशि का दावा शीघ्रातिशीघ्र करें।

14- सदस्यों का ध्यान कंपनी अधिनियम के संगत प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिनमें कंपनी को ऐसे सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार 7 (सात) वर्षों या अधिक हेतु लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया ह, ै आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किया जाना होता है। निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा खोले गए डीमैट खाते में उक्त शेयरों को अंतरित करने के लिए उचित कार्रवाई की है। सदस्यों को आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित शेयरों के ब्यौरे की जांच करने के लिए वेब लिंक http://www.nhpcindia.com/Default.aspx?id=278&lg=eng& देखने का परामर्श दिया जाता है। आईईपीएफ खाते से शेयरों का दावा करने हेतु प्रक्रिया वेबसाइट पर उपलब्ध है। शेयरधारकों/लाभग्राही स्वामियों से अनुरोध है कि वे अपने दावे को बिना किसी विलंब के आरटीए को प्रस्तुत करें अथवा वे श्री सरोज कुमार रॉय, प्रबंधक (वित्त) और

आईईपीएफ हेतु नोडल अधिकारी से एनएचपीसी कार्यालय परिसर, चौथा तल, ज्योति सदन, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा - 121 003 से संपर्क करें।

15- डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले लाभकारी स्वामियों से अनुरोध है कि वे अपने बैंक विवरण, ई-मेल आईडी तथा आवासीय पते को संबंधित डीपी के साथ अद्यतन करे ताकि भुगतान तथा संप्रेषण को सुकर बनाया जा सकें। भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने बैंक विवरण, पैन, ई-मेल आईडी तथा आवासीय पते में किसी परिवर्तन की सूचना तत्काल आरटीए/कंपनी को दे। जो भौतिक रूप वाले शेयरधारक ईसीएस सुविधा का विकल्प अपनाना नहीं चाहते, वे अपने बैंकर का नाम, शाखा का पता और खाता संखया रजिस्ट्रार और आरटीए के पास भेज दें ताकि कंपनी उस ब्योरे को लाभांश वारंटों पर अंकित कर सकें।

16- भौतिक रूप में अलग-अलग फोलियो में समान नाम से अथवा नामों के समान क्रम में संयुक्त नाम पर शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे एक फोलियो में समेकन हेतु संगत शेयर प्रमाण-पत्रों को आरटीए को भेजे।

17- प्रवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध हे कि वे आरटीए को निम्नलिखित सूचनाएं भेजें :

क) उनके स्थायी रूप से भारत लौटने पर आवास संबंधी स्थिति में बदलाव,

ख) भारत में उनके बैंक खाते का विवरण पूरे नाम, शाखा का नाम, खाते का प्रकार, खाता संखया, आईएफएससी कोड और पिन कोड सहित बैंक का पता, अगर पहले नहीं दिया हो तो।

18- किसी धोखाधड़ीपूर्ण कारोबार को रोकने के लिए, सदस्यों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे उचित सावधानी बरते और किसी सदस्य की मृत्यु के संबंध में कंपनी को यथासंभव शीघ्र सूचित करे। सदस्यों को अपना डीमैट खाता लंबे समय तक निष्क्रिय न रखने की भी सलाह दी जाती है। धारिता के आवधिक विवरण को संबंधित जमाकर्ता भागीदार से प्राप्त किया और धारिता का सत्यापन किया जाना चाहिए।

19- सेबी एलओडीआर के संगत प्रावधानों के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को 01 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैटिरियलाइज्ड रूप में ही ंअंतरित किया जा सकता है, सिवाय प्रतिभूतियों के ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजीशन हेतु अनुरोध प्राप्त होने के मामले में। तदनुसार, भौतिक शेयरों से संबद्ध सभी जोखिमों को समाप्त करने और पोर्टफोलियो प्रबंधन को आसान बनाने के लिए भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी धारिता को डीमैटिरियलाइज्ड रूप में परिवर्तित करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए आरटीए/कंपनी से सहायता कर सकते है।

20- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुपालन में किसी सरकारी कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियु या पुनः नियु किया जाना होता है। इसके अतिरि, उनके पारिश्रमिक को कम्पनी द्वारा एक आम बैठक में अथवा कम्पनी अधिनियम की धारा 142 के अनुरूप कम्पनी द्वारा आम बैठक में निर्धारित किए गए किसी तरीके से नियत किया जाना होता है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपने दिनांक 31 जुलाई, 2019 के पत्र के माध्यम से वित्त वर्ष 2019-20 हेतु मैसर्स लोधा एण्ड कंपनी, कोलकाता, मैसर्स अरोड़ा वोहरा एण्ड कंपनी, जम्मू और मैसर्स डीएसपी एण्ड एसोसिएटस, नई दिल्ली को संयु सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियु किया है। कम्पनी के सदस्यों ने 27 सितम्बर, 2018 को आयोजित अपनी 42वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया था। निदेशक मंडल ने 67 लाख रूपए की राशि अनुमोदित की है जिसमें 63 लाख रूपए की राशि एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा और 4 लाख रूपए की राशि समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के प्रति है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल द्वारा त्रैमासिक लेखे की सीमित समीक्षा के शुल्क के प्रति प्रत्येक तिमाही हेतु एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के शुल्क 23 प्रतिशत की राशि तथा कर लेखापरीक्षा के लिए शुल्क के प्रति 30 प्रतिशत की राशि को अनुमोदित किया गया है। उक्त शुल्क में कर, उद्ग्रहण तथा यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता शामिल नहीं है और इसे संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु पारिश्रमिक के तौर पर समान रूप से साझा किया जाएगा। सदस्य बोर्ड द्वारा उपयु समझे गए अनुसार वर्ष 2019-20 हेतु संयु सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए उचित पारिश्रमिक पर विचार करने तथा उसे निर्धारित करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत कर सकते हैं।

21- निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कर्मियों (केएमपी) तथा उनकी शेयरधारिता के संबंध में अनुरक्षित रजिस्टर और निदेशकों के हितबद्ध होने वाली संविदाओं तथा व्यवस्थाओं के रजिस्टर वार्षिक आम बैठक से पूर्व कार्य दिवसों (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाशों के अतिरिक्त) पर प्रातः 11:00 बजे से अपराहृन 01:00 बजे तक फरीदाबाद में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर और बैठक के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

22- कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी प्रकार से किसी अन्य निदेशक का संबंधी नहीं है।

23- वार्षिक आम बैठक के स्थल का मार्ग मानचित्र इस नोटिस के साथ संलग्न है। इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों की सुविधा के लिए एनएचपीसी चौक मेट्रो स्टेशन (गेट नम्बर 1) से ले जाने तथा वहां पर छोड़ने की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है।

24- सेबी एलओडीआर और साथ ही साथ कंपनी अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी इस वार्षिक आम बैठक में कारोबार की जाने वाली सभी मदों के संबंध में अपने सभी सदस्यों को सुदूर ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवा रही है। यूजर आईडी तथा पासवर्ड सहित ई-वोटिंग से संबंधित अनुदेश इस नोटिस के साथ भेजे जाने वाले ई-वोटिंग संप्रेषण फार्म में दिए गए हैं। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना ई-वोट देने से पूर्व ई-वोटिंग हेतु दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़े।

25- सदस्य मतदान के केवल एक तरीके का विकल्प चुन सकते हैं अर्थात या तो वार्षिक आम बैठक में द्रौतिक मतदान द्वारा, अथवा ई-मतदान के द्वारा मत देकर। कोई सदस्य जिसने ई-मतदान तंत्र के माध्यम से मत दिया है, वह आम बैठक में द्रौतिक रूप में प्रतिद्रागिता करने से प्रतिबंधित नहीं है। तथापि, उसे बैठक में पुनः मत देने की अनुमति नहीं होगी और उसके पहले के मत (ई-माध्यम से दिए गए) को अंतिम माना जाएगा।

सूचना के साथ संलग्न कंपनी अधिनियम की धारा 102 के अनुपालन में विवरणात्मक कथन

मद सं. 6

निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु 75,000/-रूपए प्रति विद्युत स्टेशन (यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, कर तथा शुल्कों के अतिरिक्त) के पारिश्रमिक पर कंपनी के लागत रिकार्डों की लेखापरीक्षा करने के लिए लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक को निम्नानुसार अनुमोदित किया है :

क्रम सं.	फर्म का नाम	वित्त वर्ष 2017-18 प्रारंभ की जाने वाली परियोजनाओं सहित विद्युत स्टेशनों का आवंटन
1.	मैसर्स चन्द्र वधवा एण्ड कंपनी, दिल्ली *	दुलहस्ती और सलाल
2.	मैसर्स बलविंदर एण्ड एसोसिएटस, मोहाली, पंजाब	चमेरा-॥, चमेरा-॥। और सेवा-॥
3.	मैसर्स संजय गुप्ता एण्ड एसोसिएटस, दिल्ली	ऊरी-।, ऊरी-॥ और किशनगंगा
4.	मैसर्स के.एल.जयसिंह एंड कंपनी, नोएडा	धौलीगंगा, पवन विद्युत परियोजना (जैसलमेर) और टनकपुर
5.	मैसर्स के.जी.गोयल एण्ड एसोसिएटस, जयपुर	चमेरा-।, बैरास्यूल और पार्बती-॥।
6.	मैसर्स आर.जे.गोयल एण्ड कंपनी, दिल्ली	चूटक और निम्मो बाजगो और पार्बती-॥**
7.	मैसर्स डीजीएम एण्ड एसोसिएटस, कोलकाता	रंगित, तीस्ता-5 और टीएलडीपी-3
8.	मैसर्स नीरन एण्ड कंपनी, कोलकाता	लोकतक, टीएलडीपी-4 और 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना (तमिलनाडू)

* मैसर्स चन्द्र वधवा एण्ड कंपनी को लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों के समेकन और प्रस्तुत करने हेतु 75,000/- रूपए (पिचहत्तर हजार रूपए मात्र) जमा कर और शुल्क के पारिश्रमिक पर प्रमुख लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

** पार्बती-॥ जल विद्युत परियोजना के संबंध में नियुक्ति वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान संबंधित परियोजनाओं के वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन है।

कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के साथ पढ़ा जाता है, के अनुसार लेखापरीक्षा समिति द्वारा संस्तुत पारिश्रमिक पर निदेशक मंडल द्वारा विचार एवं अनुमोदन प्रदान किया जाएगा और उसकी बाद में शेयरधारकों द्वारा पुष्टि की जाएगी।

तदनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 हेतु लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि हेतु एक साधारण प्रस्ताव के माध्यम से सदस्यों की सहमति प्रार्थित है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/उनके संबंधी किसी भी प्रकार से, वित्तीय या अन्यथा, सूचना की मद संखया 6 में निर्धारित प्रस्ताव से संबंधित या हितबद्ध नहीं है, सिवाय कंपनी में अपनी शेयरधारिता की सीमा तक।

बोर्ड सूचना की मद संखया 6 में निर्धारित आम प्रस्ताव की शेयरधारकों के अनुमोदन की सिफारिश करता है।

मद संखया 7 से 9

विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के आदेश संखया 20/6/2017-समन्वय के माध्यम से प्रो. (श्रीमती) कनिका टी. भाल (डीआईएन 06944916), श्री सत्य प्रकाश मंगल (डीआईएन 01052952) और प्रो. अरूण कुमार (डीआईएन 07346292) को उनके कार्यकाल की पूर्णता की तिथि अर्थात 17 नवम्बर, 2018 से एक वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए कम्पनी के गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के रूप में पुनर्नियुक्त किया था। तदुनसार, प्रो. (श्रीमती) कनिका टी. भाल, श्री सत्य प्रकाश मंगल और प्रो. अरूण कुमार को निदेशक मंडल ने कंपनी के संगम अनुच्छेदों के साथ पढ़ी जाने वाली कम्पनी अधिनियम की धारा 161 के प्रावधानों के अंतर्गत 18 नवम्बर, 2018 से अगली वार्षिक आम बैठक की तिथि तक अपर निदेशक के रूप में नियु किया था।

चूंकि अपर निदेशक के रूप में प्रो. (श्रीमती) कनिका टी. भाल, श्री सत्य प्रकाश मंगल और प्रो. अरूण कुमार की नियुक्ति का कार्यकाल कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुपालन में वार्षिक आम बैठक में समाप्त होना निर्धारित है, उनकी निदेशक की पदधारिता की पुष्टि और पर स्थायीकरण और भारत सरकार द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर दूसरे कार्यकाल हेतु कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन प्रार्थित है।

कम्पनी को प्रो. (श्रीमती) कनिका टी. भाल, श्री सत्य प्रकाश मंगल और प्रो. अरूण कुमार से कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में स्वयं की पुनर्नियुक्त हेतु अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करने वाला लिखित में

एक नोटिस प्राप्त हुआ है। कंपनी को प्रो. (श्रीमती) कनिका टी. भाल, श्री सत्य प्रकाश मंगल और प्रो. अरूण कुमार से इस आश्य की एक घोषणा भी प्राप्त हुई है कि वे कंपनी अधिनियम की अनुसूची 4 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 149 की उप-धारा (6) और सेबी एलओडीआर के विनियम 16 दोनों के अंतर्गत यथा विहित स्वतंत्रता के मानदण्ड को पूरा करते है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुरूप निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अपात्र नहीं है।

उक्त निदेशकों का एक संक्षिप्त परिचय, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति, कंपनी में उनकी शेयरधारिता, धारित अन्य निदेशक पद, समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता तथा अन्य विवरण शामिल है, इस नोटिस के साथ अन्यत्र संलग्न है।

उनकी व्यापक विशेषज्ञता तथा ज्ञान के मद्देनजर, यह कंपनी के हित में होगा कि प्रो. (श्रीमती) कनिका टी. भाल, श्री सत्य प्रकाश मंगल और प्रो. अरूण कुमार को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के आदेश के अनुसार 17 नवम्बर, 2019 तक की शेष अवधि हेतु स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाए। विद्युत मंत्रालय का दिनांक 22 नवम्बर, 2018 का आदेश कंपनी के व्यापार घंटों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

प्रो. (श्रीमती) कनिका टी. भाल, श्री सत्य प्रकाश मंगल और प्रो. अरूण कुमार और उनके संबंधी के अतिरिक्त, सिवाय कंपनी में अपनी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, कंपनी का कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/उनके संबंधी किसी भी प्रकार से, वित्तीय या अन्यथा, सूचना की मद संखया 7 से 9 में निर्धारित प्रस्ताव से संबंधित या हितबद्ध नहीं है।

बोर्ड सूचना की **मद संखया 7 से 9** में निर्धारित आम प्रस्ताव की शेयरधारकों के अनुमोदन की सिफारिश करता है।

वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति का अनुरोध करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

नाम	श्री रतीश कुमार (डीआईएन 06852735)	श्री जर्नादन चौधरी (डीआईएन 07871968)
जन्म तिथि और आयु	08 दिसम्बर, 1960 58 वर्ष	15 मार्च, 1960 59 वर्ष
बोर्ड में प्रथम नियुक्ति की तारीख	06 जनवरी, 2016	05 जुलाई, 2018
योग्यता	वह जी.बी.पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर, उत्तराखंड से इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी में बी.टेक हैं।	वह बिहार इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिन्द्री (झारखंड) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मे स्नातक डिग्रीधारक है।
किसी विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	उनके पास जल विद्युत के क्षेत्र में 36 वर्ष से अधिक का विविध अनुभव है और वे वर्ष 1982 से एनएचपीसी से सबंद्ध है जहां वे उत्तरदायित्व, नैतिकता तथा समर्पण की अत्यधिक समझ के साथ पेशेवर क्रम में ऊपर के सोपान पर पहुंचे। उन्हें जल विद्युत संयंत्रों के निर्माण तथा स्थापन, ई एण्ड एम उपकरणों की डिजाइन और इंजीनियरिंग, जल विद्युत उत्पादन से संबंधित अन्य पहलुओं सहित जल विद्युत परियोजनाओं के विन्यास के संबंध में उत्कृष्ट जानकारी है। वह सभी एनएचपीसी परियोजनाओं के प्रभारी हैं जो निर्माणाधीन तथा निर्माण-पूर्व चरणों में हैं। इसमें हाइड्रो तथा साथ ही साथ सौर एवं पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। वह कंपनी द्वारा लिए जा रहे संयु उद्यमों तथा परामर्शी कार्यों हेतु भी उत्तरदायी हैं। इसके अतिरि	उनके पास जलविद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में 34 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है, जिसमें जल विद्युत विकास के सभी क्षेत्रों में प्रारंभ से लेकर चालू किए जाने और प्रचालन तथा रखरखाव शामिल है। एनएचपीसी बोर्ड में शामिल होने से पूर्व, वे कार्यकारी निदेशक (ओ एंड एम) के पद पर आसीन थे और उन्होंने नियामक ढांचे के भीतर विद्युत स्टेशनों के प्रचालनात्मक निष्पादन को ईष्टतम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह बैरास्यूल और लोकतक पावर स्टेशनों के आर एंड एम (जीवनकाल विस्तार) के लिए डीपीआर को अंतिम रूप देने से संबद्ध थे। श्री चौधरी कई परियोजनाओं के विस्तृत डिजाइन तथा अभियांत्रिकी, विद्युत संभाव्यता और ईष्टतम अध्ययनों को तैयार करना, और ई एंड एम उपकरणों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। वह टनकपुर, रंगित और कुरिचु परियोजनाओं के स्थापन, परीक्षण और चालू करने के क्रियाकलापों में शामिल थे

	प्रमुख कार्य अर्थात संविदाएं, माध्यस्थम कार्रवाई, परियोजना निगरानी और समर्थन समूह और डिजाइन (ई एण्ड एम) भी उनके क्षेत्राधिकार में आते हैं।	और म्यान्मार में 1,200 मेगावाट की तमांथी, भूटान में 720 मेगावाट की मांगदेचु और 60 मेगावाट की कुरिचु जैसी कई परियोजनाओं के लिए एनएचपीसी के परामर्शी कार्य के साथ भी जुड़े हुए हैं।
अन्य कपंनियों में धारित निदेशक पद	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	कोई नहीं
सभी कंपनियों में समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता *	1. एनएचपीसी लिमिटेड (क) जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य (ख) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति - सदस्य	1. एनएचपीसी लिमिटेड (क) जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य (ख) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति - सदस्य
नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के निबंधन एवं शर्ते और अदा किया जाने वाला प्रार्थित पारिश्रमिक तथा पिछला पारिश्रमिक, यदि कोई हो	भारत सरकार द्वारा निर्णय लिए गए अनुसार।	भारत सरकार द्वारा निर्णय लिए गए अनुसार।
वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संखया	9	8
एनएचपीसी में धारित शेयरों की संखया (31 मार्च, 2019)	15986	21055

* केवल सांविधिक समितियों के ब्यौरे मुहैया करवाए गए है।

नाम	श्री सत्य प्रकाश मंगल (डीआईएन 01052952)	प्रो. अरूण कुमार (डीआईएन 07346292)	प्रो. (श्रीमती) कनिका टी. भाल (डीआईएन 06944916)
जन्म तिथि और आयु	15 मई, 1960 59 वर्ष	13 जून, 1959 60 वर्ष	24 अक्तूबर, 1964 54 वर्ष
बोर्ड में प्रथम नियुक्ति की तारीख	26 नवम्बर, 2015	26 नवम्बर, 2015	26 नवम्बर, 2015
योग्यता	वह एक दक्ष सनदी लेखाकार हैं।	वह आईआईटी रूड़की से सिविल इंजीनियरिंग मे स्नातक डिग्री, आईआईएससी बेंगलूरू से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर और आईआईटी रूड़की से जल विद्युत विकास में पीएचडी डिग्रीधारक है। उन्होंने एनटीएच, ट्रोन्डियम (नार्वे) से जल विद्युत विकास में डिप्लोमा अध्ययन किया है।	वह आईआईटी, कानपुर से पीएचडी डिग्रीधारक है।
किसी विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	उनके पास विशेष तथा फोरेन्सिक लेखापरीक्षा में व्यापक अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता वित्तीय अभियांत्रिकी तथा वित्तीय पुनर्संरचना तथा परियोजना के पुनरूद्धार हेतु ईष्टतम मार्ग निर्धारित करने में है। श्री सत्य प्रकाश मंगल ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का एक उपक्रम) और यूको बैंक (भारत सरकार का एक उपक्रम) में निदेशक के रूप में कार्य किया है। वह बैंकिंग उद्योग हेतु	उनके पास जल विद्युत विकास और नदियों तथा झीलों के पर्यावरणीय प्रबंधन के क्षेत्र में 37 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने वर्ष 2099-11 के दौरान जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सरकारी पैनल हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर विशेष रिपोर्ट के संबंध में जल विद्युत हेतु समन्वयक अग्रणी लेखक के रूप में कार्य किया था। अपने प्रतिष्ठित करियर के दौरान	वह स्लोअन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एक विजिटिंग फेलो है। वह सामान्यतः व्यवहार विज्ञान और विशेष रूप से नेतृत्व में एक विशेषज्ञ हैं। विभिन्न संगठनों जैसे कि भारत के 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग, भारत के प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, डीआरडीओ, यूपीएससी,

	''एएएस-आस (आशा)'' (अग्रिम चेतावनी प्रणाली) परियोजना पर कार्य कर रहे हैं जो एनपीए को रोकने हेतु निवारात्मक उपाय मुहैया करवाती है। श्री मंगल ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स से कारपोरेट अभिशासन पर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में भी पूरा किया है। इसके अतिरि, उनके पास आश्वासन तथा अनुपालन, सेबी अनुपालन और जोखिम प्रबंधन का व्यापक ज्ञान है।	प्रो0 कुमार को अपने उत्कृष्ट कार्यों हेतु कई पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त हुए थे जैसे कि वर्ष 1991 में केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड द्वारा कैश योर आइडिया पुरस्कार, 2001 में आईआईआरडीएसएस, नई दिल्ली से सूर्य पुरस्कार, इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) उत्तराखंड राज्य केन्द्र से एमिनेंट इंजीनियर्स पुरस्कार 2015 और इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) रूड़की से एमिनेंट इंजीनियर्स पुरस्कार 2017 और हिमालय पावर प्रोडयूसर्स एसोसिएशन से उत्कृष्टता पुरस्कार। वे 1998 से 2011 तक वैकल्पिक जलीय ऊर्जा केन्द्र (एएचईसी), आईआईटी रूड़की के प्रमुख रहे थे और 2013-18 के दौरान एमएनआरई चेयर प्रोफेसर (नवीकरणीय ऊर्जा) धारित किए हुए थे। प्रो0 कुमार वर्तमान में जलीय और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (पूर्व में एएचईसी) आईआईटी,	डीजीएस एण्ड डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एनआईसीडी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के लिए परामर्शदाता होने के अतिरि उन्हें सरकारी समितियों में एक विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया जाता है और वह एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, अमेरिका, सोसाइटी फॉर इंडस्ट्रियल आर्गनाइजेशन एण्ड साइकोलॉजी तथा ग्लोबल इन्स्टीट्यूट ऑफ फ्लेक्सीबल सिस्टमस मैनेजमेंट की एक सदस्या हैं। उन्हें हेडलाइन्स टुडे द्वारा 2013 में प्रबंधन में श्रेष्ठ प्रोफेसर, आईईएस ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन, भोपाल द्वारा 2009 में प्रबंधन शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य हेतु डा. हरी सिंह गौड़ पुरस्कार, आईआईटी, दिल्ली द्वारा शिक्षण में उत्कृष्टता

		रूड़की के प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं।	पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। प्रो.भाल को शवाने इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दक्षिण अफ्रीका द्वारा माननीय प्रोफेसर का सम्मान प्रदान किया गया और वह साइमन फ्रेसर यूनिवर्सिटी, कनाडा में विजिटिंग प्रोफेसर थी। वर्तमान में वह आईआईटी दिल्ली में प्रबंधन की एक प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट चेयर तथा डीन (आयोजना) है।
अन्य कपंनियों में धारित निदेशक पद	1. एनएचडीसी लिमिटेड 2. एसपीएमसी बिजनेस एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	कोई नहीं	1. एवाईई फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड 2. न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल स्मार्ट सिटी लिमिटेड
सभी कंपनियों में समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता *	1. एनएचपीसी लिमिटेड (क) लेखापरीक्षा समिति - अध्यक्ष (ख) जोखिम प्रबंधन समिति - अध्यक्ष 2. एनएचडीसी लिमिटेड (क) लेखापरीक्षा समिति - अध्यक्ष	1. एनएचपीसी लिमिटेड (क) लेखापरीक्षा समिति - सदस्य (ख) नामांकन और पारिश्रमिक समिति - सदस्य (ग) जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य (घ) कारपोरेट सामाजिक	1. एनएचपीसी लिमिटेड (क) लेखापरीक्षा समिति - सदस्य (ख) नामांकन और पारिश्रमिक समिति - सदस्य (ग) हितधारक संबंध समिति - सदस्य

	(ख) सीएसआर समिति - सदस्य	उत्तरदायित्व और धारणीयता समिति - अध्यक्ष	2. एवाईई फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड (क) लेखापरीक्षा समिति - सदस्य (ख) नामांकन और पारिश्रमिक समिति - अध्यक्ष
नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के निबंधन एवं शर्ते और अदा किया जाने वाला प्रार्थित पारिश्रमिक तथा पिछला पारिश्रमिक, यदि कोई हो	भारत सरकार द्वारा निर्णय लिए गए अनुसार।	भारत सरकार द्वारा निर्णय लिए गए अनुसार।	भारत सरकार द्वारा निर्णय लिए गए अनुसार।
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संखया	10	10	10
31 मार्च, 2017 को धारित शेयरों की संखया	15000	शून्य	शून्य

* केवल सांविधिक समितियों के ब्यौरे मुहैया करवाए गए है।

टिप्पणियां :

....

....

....

....

....
....

एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : एनएचपीसी आफिस काम्प्लेक्स, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा - 121003

सीआईएन : एल40101एचआर1975जीओआई032564

टेलीफोन नं. : 0129-2588110 फैक्स नं. : 0129-2278018

वेबसाइट : www.nhpcindia.com ई-मेल आईडी : companysecretary@nhpc.nic.in

उपस्थिति पर्ची

सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 को प्रातः 11.00 बजे जल तरंग सभागार, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 में होने वाली 43वीं वार्षिक आम बैठक।

भाग लेने वाले सदस्यों के नाम...
....
.....

(स्पष्ट अक्षरों में)

फोलियो नंबर * ---------------- ग्राहक आईडी नंबर -----------------

डीपी आई डी नंबर -------------------------

धारित शेयरों की संखया -------------------------

प्रोक्सी (प्रतिनिधि) का नाम ------------------------

(स्पष्ट अक्षरों में केवल उस स्थिति में भरा जाए जब सदस्यों के स्थान पर प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेना हो)

मैं एतद्द्वारा सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 को प्रातः जल तरंग सभागार, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 में होने वाली 43वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं।

सदस्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

*शेयर भौतिक रूप में धारण किए जाने की स्थिति में लागू।

1- टिप्पणी :
2- उपस्थिति पर्ची पर आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप हस्ताक्षर किए गए होने चाहिए। इस प्रकार पूर्ण तथा हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची को स्थल पर आरटीए काउंटर(रों) पर सौंपा जाएगा जिसके एवज में आरटीए प्रवेश-पत्र मुहैया करवाएगा। सभागार में प्रवेश पूर्णतः आरटीए द्वारा मुहैया करवाए गए प्रवेश-पत्र के आधार पर होगा। सदस्य स्वयं अथवा प्रतिनिधि धारक कृपया पहचान/प्रमाणीकरण प्रयोजनों हेतु फोटो पहचान-पत्र साथ लेकर आएं।

व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित शेयरधारकों पर ही विचार किया जाएगा।

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
पंजीकृत कार्यालय : एनएचपीसी आफिस काम्प्लेक्स, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003
सीआईएन : एल40101एचआर1975जीओआई032564

टेलीफोन नं. : 0129-2588110 फैक्स नं. : 0129-2278018

वेबसाइट : www.nhpcindia.com ई-मेल आईडी : companysecretary@nhpc.nic.in

प्रतिनिधि का फार्म

कंपनी का नाम : एनएचपीसी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा - 121003

सदस्य(यों) का नाम	:	
पंजीकृत पता	:	
ई-मेल आईडी	:	
फोलियो नं./क्लाइंट आईडी	:	
डीपी आईडी	:	

मैं/हम, ------------------- के सदस्य होने के चलते, उक्त नाम की कंपनी के शेयरों हेतु एतद्द्वारा निम्नांकित को नियुक्त करते हैं :

1. नाम :

....
....

पता :

....

....

ई-मेल आईडी :

....

....

हस्ताक्षर :

....

.........................., अथवा उनके असमर्थ होने पर

2. नाम :

....

....

पता :

....

....

ई-मेल आईडी :

....

....

हस्ताक्षर :

....

.........................., अथवा उनके असमर्थ होने पर

3. नाम :

....

....

पता :

....

....

ई-मेल आईडी :

....

....

हस्ताक्षर :

....
....

मैं/हम, मेरी/हमारी ओर से सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 को प्रातः 11.00 बजे जल तरंग सभागार, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 में होने वाली कंपनी की 43वीं वार्षिक आम बैठक और तत्संबंधी किसी स्थगन में भाग लेने और नीचे दर्शाए गए प्रस्तावों के संबंध में मतदान करने (मतदान होने पर) े के लिए नियुक्त करता हूं/करते हैं।

वार्षिक आम बैठक के स्थल का मार्ग मानचित्र

मद सं.	प्रस्ताव	पक्ष में	विपक्ष में
	सामान्य कारोबार		
1-	निम्नलिखित पर विचार करना और उसे स्वीकार करना : क. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल की रिपोर्ट, उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां; और ख. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल की रिपोर्ट, उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।		
2-	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अंतरिम लाभांश को नोट करना और अंतिम लाभांश की घोषणा करना।		
3-	श्री रतीश कुमार, निदेशक (परियोजनाएं) (डीआईएन 06852735) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति, जो आवर्तन-आधार सेवानिवृत हो रहे हैं और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश की है।		
4-	श्री जनार्दन चौधरी, निदेशक (तकनीकी) (डीआईएन 06852735) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति, जो आवर्तन-आधार सेवानिवृत हो रहे हैं और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश की है।		
5-	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना		
	विशेष कारोबार		
6-	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि हेतु साधारण प्रस्ताव।		
7-	प्रो. (श्रीमती) कनिका टी. भाल) (डीआईएन 06944916) को कम्पनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करने के लिए विशेष प्रस्ताव		
8-	श्री सत्य प्रकाश मंगल (डीआईएन 01052952) को कम्पनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करने के लिए विशेष प्रस्ताव		
9-	प्रो. अरूण कुमार (डीआईएन 07346292) को कम्पनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करने के लिए विशेष प्रस्ताव		

दिनांक---/----/2019 को हस्ताक्षरित।

उचित मूल्य
की
रसीदी टिकट
चिपकाएं

शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रतिनिधित्व धारक(कों) के हस्ताक्षर

1- टिप्पणी :

2- प्रस्ताव, विवरणात्मक कथन और टिप्पणियों हेतु कृपया 43वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना का संदर्भ ले।

कृपया प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त बॉक्स में सदस्यों के ब्यौरे सहित सभी ब्यौरे पूरी तरह से भरे।

एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)
पंजीकृत कार्यालय : एनएचपीसी आफिस काम्प्लेक्स, सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)
सीआईएन : एल40101एचआर1975जीओआई032564

टेलीफोन नं. : 0129-2588110 फैक्स नं. : 0129-2278018

वेबसाइट : www.nhpcindia.com ई-मेल आईडी : webmaster@nhpc.nic.in

फोलियो संखया/डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी

नाम

पता

संयुक्त धारक

धारित इक्विटी शेयरों की संखया

प्रिय सदस्य,

विषय - इलेक्ट्रोनिक माध्यम से वोटिंग

43वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 को प्रातः 11.00 बजे जल तरंग सभागार, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 में होना निर्धारित है। कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, यथा संशोधित कम्पनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी ने उक्त बैठक में पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रस्तावों पर उनके मताधिकार का उपयोग करने के लिए समर्थ बनाने हेतु अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एजेंसी के तौर पर मैसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (''केएफपीएल '' अथवा ''कार्वी '') की सेवाएं ली हैं।

कम्पनी ने रिमोट ई-वोटिंग ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

ईवीईएन (ई-वोटिंग ईवेंट संखया)	यूजर आईडी	पासवर्ड/पिन

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी :

रिमोट ई-वोटिंग प्रारम्भ होना :	20 सितम्बर, 2019 (शुक्रवार) को प्रातः 900 बजे (भारतीय मानक समय) से

रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होना :	22 सितम्बर, 2019 (रविवार) को सांय 500 बजे (भारतीय मानक समय) तक

रिमोट ई-वोटिंग हेतु उ वर्णित दिनांक तथा समय से आगे अनुमति नहीं दी जाएगी और उ अवधि के समाप्त होने पर कार्वी द्वारा ई-वोटिंग मॉडयूल को डिसेबल कर दिया जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग तथा वार्षिक आम बैठक में मतदान के प्रयोजन हेतु निर्धारण तिथि 16 सितम्बर, 2019 है।

यह सप्रेषण 23 सितम्बर, 2019 को आयोजन के लिए निर्धारित 43वीं वार्षिक आम बैठक हेतु दिनांक 2 अगस्त, 2019 की सूचना का एक अभिन्न भाग है। वित्त वर्ष 2018-19 हेतु कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन आपको मेल द्वारा अलग से भेजा जा चुका है। उ सूचना की एक प्रति इसके साथ भेजा जा रही है। कृपया मत देने से पूर्व पिछले पृष्ठ पर मुद्रित अनुदेशों को पढ़ लें।

43वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और यह सप्रेषण कम्पनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर भी उपलब्ध है।

भवदीय,

कृते एनएचपीसी लिमिटेड

हस्ता./-

(विजय गुप्ता)

कम्पनी सचिव
दिनांक : 02 अगस्त, 2019
स्थान : फरीदाबाद

ई-मतदान से संबंधित जानकारी

1- ई-मतदान से संबंधित अनुदेश और अन्य जानकारी निम्नानुसार हैं :

(क) सदस्य को कार्वी से ई-मेल प्राप्त होने के मामले में (ऐसे सदस्यों के लिए जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/जमाकर्ता भागीदार के साथ दर्ज है)

(1) मतदान अवधि के दौरान अपना वेब ब्राउसर खोले और '' https://evoting.karvy.com'' पर जाए।

(2) अनुमेय तरीके द्वारा भेजे गए ई-मतदान फार्म/ई-मेल में उल्लिखित अपने लॉगिन ब्यौरों (अर्थात यूजर आईडी तथा पासवर्ड) की प्रविष्टि करे। आपका फोलियो/डीपी क्लाइंट आईडी ही आपकी यूजर आईडी होगी।

यूजर आईडी	डीमैट रूप में धारित शेयर वाले सदस्यों हेतु :- क) एनएसडीएल हेतु :- 8 अंकों वाली डीपी आईडी उसके पश्चात 8 अंकों वाली क्लांइट आईडी ख) सीडीएसएल हेतु :- 16 अंकों वाली लाभग्राही की आईडी • भौतिक रूप में शेयर धारित सदस्यों हेतु :- इवेंट संखया (ई-वोटिंग इवेंट संखया) उसके पश्चात कंपनी के साथ दर्ज फोलियो नम्बर
पासवर्ड	आपके अनूठे पासवर्ड को पृष्ठ के दूसरी ओर मुद्रित किया गया है/अनुमेय तरीके से ई-मेल द्वारा भेजा गया है।
कैपचा	वैरिफिकेशन कोड डाले अर्थात सुरक्षा कारणों के चलते शब्दों तथा अंकों को ठीक उसी प्रकार डाले जिस प्रकार वे प्रदर्शित हो रहे है।

(3) इन ब्यौरों की सही प्रविष्टि के पश्चात ''लॉगिन'' पर क्लिक करे।

(4) डीमैट/भौतिक रूप में शेयर धारित सदस्य अब पासवर्ड चेंज मीनू पर पहुंचेंगे जहां उन्हें बाध्यकारी रूप से नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड बदलना होगा। नया पासवर्ड न्यूनतम आठ कैरेक्टर का होना चाहिए जिसमें कम से कम एक अपर केस (A–Z), एक लोअर केस (a–z), एक संखया (0-9) और एक स्पेशल कैरेक्टर ($, @, #) होना चाहिए। कृपया नोट करे कि डीमैट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी भी ऐसी अन्य कंपनी के प्रस्ताव हेतु मतदान करने के लिए किया जा सकता है जिसके लिए वे पात्र हो, बशर्ते कंपनी कार्वी रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से ई-मतदान का विकल्प चुनती हो। पहले लॉगिन पर सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने और मोबाइल, ई-मेल आईडी जैसे संपर्क ब्यौरे अद्यतन करने के लिए कहेगा। पासवर्ड भूलने के मामले में उसे पुनः प्राप्त करने के लिए आप अपनी इच्छा के गुप्त प्रश्न तथा उत्तर की भी प्रविष्टि कर सकते है। इसकी पुरजोर सिफारिश की जाती है कि पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करे और अपने पासवर्ड को गोपनीय बनाए रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरते।

(5) आपको नए ब्यौरों के साथ पुनः लॉगिन करना चाहिए।

(6) सफलतापूर्वक लॉगिन पर, सिस्टम आपको 'इवेंट' अर्थात 'एनएचपीसी लिमिटेड' चुनने के लिए कहेगा।

(7) यदि आपने शेयर डीमैट रूप में धारित किए हुए है और https://evoting.karvy.com पर लॉग इन करके पहले किसी कंपनी हेतु अपना मत दिया है तो अपनी विद्यमान लॉगिन आईडी और

पासवर्ड का उपयोग करे।

(8) मतदान पेज पर आप प्रस्ताव का विवरण और उसके सामने मतदान हेतु 'पक्ष/विपक्ष/शामिल न होने' का विकल्प पाएंगे। 'पक्ष/विपक्ष/शामिल न होने' के अंतर्गत शेयरों की संखया (जो आपके मतों की संखया को दर्शाती है) डाले अथवा वैकल्पिक तौर पर आप किसी भी संखया की प्रविष्टि आंशिक रूप से 'पक्ष' तथा आंशिक रूप से 'विपक्ष' में कर सकते है परंतु 'पक्ष/विपक्ष' में कुल संखया मिला कर आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि शेयरधारक अपना मत नहीं देना चाहता है तो 'शामिल न होने' का विकल्प चुने।

(9) एक से अधिक फोलियो/डीमैट खाता धारित करने वाले सदस्य प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए मतदान प्रक्रिया को पृथक-पृथक चुनेंगे।

(10) नोटिस की प्रत्येक मद के लिए मतदान पृथक रूप से किया जाना है। यदि आप किसी विशिष्ट मद हेतु अपना मत नहीं देना चाहते है तो इसे शामिल नहीं हुए माना जाएगा।

(11) जिस प्रस्ताव पर आपने मत देने का निर्णय लिया है उसे चुनने के पश्चात ''सबमिट'' पर क्लिक करे। एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने मत की पुष्टि करना चाहते है तो ''ओके'' पर क्लिक करे, अथवा अपने मत में परिवर्तन के लिए ''कैंसिल'' पर क्लिक करे और तदनुसार अपने मत में संशोधन करे।

(12) प्रस्ताव पर अपने मत को एक बार ''कन्फर्म'' करने के पश्चात आपको अपने मत में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

(13) कारपोरेट/संस्थागत सदस्यों (व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि) से अपेक्षित है कि वे संगत बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई प्रमाणित सत्यापित प्रति (पीडीएफ फार्मेट) को संवीक्षक को aka_pcs@yahoo.com पर ई-मेल के माध्यम से तथा evoting@karvy.com पर भी एक प्रति भेजे। बोर्ड के संकल्प की स्कैन ईमेज फाइल का नाम ''कारपोरेट नाम_इवेंट सं. '' रखा जाना चाहिए।

(14) ई-वोटिंग से संबंधित किसी प्रश्न के मामले में, कृपया कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध हेल्प तथा एफएक्यू सेक्शन देखे अथवा निम्नलिखित पर संपर्क करें :

नाम	श्री एस वी राजू/ श्री एस बालाजी रेड्डी
पदनाम	उप महाप्रबंधक/ प्रबंधक
ई-मेल	raju.sv@karvy.com, balaji.reddy@karvy.com
पता	मैसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड

	कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोअली फाइनेनशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाकरमगुडा, हैदराबाद-500032 ई-मेल : einward.ris@karvy.com
संपर्क ब्यौरा	फोन नं. 040-67161569 टोल फ्री : 1800-34-54-001

(ख) सदस्य को डाक द्वारा वार्षिक आम बैठक की सूचना की भौतिक प्रति प्राप्त होने के मामले में (जिन सदस्यों की ई-मेल आईडी कंपनी/जमाकर्ता भागीदार(रों) के साथ पंजीकृत नहीं है अथवा जिन्होंने भौतिक प्रति का अनुरोध किया है) :

(1) पृष्ठ के दूसरी ओर दिया गया प्रारंभिक पासवर्ड।

2- (2) मतदान करने के लिए उपर्युक्त (क) के क्रम संखया 1 से 14 तक दिए गए सभी कदमों का पालन करे।

3- अन्य किसी स्पष्टीकरण हेतु कृपया हमारे रजिस्ट्रार से निशुल्क नम्बर 1-800-34-54-001 पर संपर्क करे।

4- सदस्य अपना मत ऑनलाइन 30 सितम्बर, 2019 को प्रातः 0900 बजे (भारतीय मानक समय) से 22 सितम्बर, 2019 को अपराहृन 0500 बजे (भारतीय मानक समय) तक दे सकते है।

5- एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर मत देने के पश्चात उसे बदलने या पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

6- मत पत्र के माध्यम से मत देने की सुविधा वार्षिक आम बैठक के स्थल पर मुहैया करवाई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मत नहीं दिया है, वे बैठक में मत पत्र के माध्यम से मत देने में समर्थ होंगे। इलेक्ट्रोनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा कंपनी की वार्षिक आम बैठक में उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी।

7- जिन सदस्यों ने रिमोट वोटिंग द्वारा अपना मत दे दिया है, वे भी बैठक में भाग ले सकते है परंतु वे दोबारा मत देने के पात्र नहीं होंगे।

8- निदेशक मंडल द्वारा अपनी 29 जुलाई, 2019 को हुई बैठक में श्री अमित कौशल, प्रोप्राइटर मैसर्स ए. कौशल एण्ड एसोसिएटस, नई दिल्ली, ई-मेल आईडी aka_pcs@yahoo.com को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है जो एक उचित एवं पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया और मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा करेंगे। श्री कौशल ने उक्त रूप से नियुक्त किए जाने हेतु अपनी इच्छुकता को संप्रेषित किया है।

9- मताधिकार निर्धारण तिथि अर्थात 16 सितम्बर, 2019 को सदस्य/लाभग्राही स्वामी (इलेक्ट्रोनिक शेयरधारण के मामले में) के नाम पर पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

10- कोई व्यि जिसका नाम निर्धारण तिथि अर्थात 16 सितम्बर, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपोजिटरी द्वारा रखे गए लाभग्राही सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वह ही रिमोट ई-वोटिंग/बैठक के स्थल पर मत-पत्र द्वारा मतदान की सुविधा प्राप्त करने का पात्र होगा।

11- सदस्य अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को फोलियो के यूजर प्रोफाइल ब्यौरे में भी अद्यतन कर सकते है जिनका उपयोग भविष्य के संप्रेषणों को भेजने हेतु किया जाएगा।

12- कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी का सदस्य बनता है और निर्धारण तिथि अर्थात 16 सितम्बर, 2019 को शेयरधारित किए हुए है, वह रिमोट ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी तथा पासवर्ड नीचे उल्लिखित तरीके से प्राप्त कर सकता है :

1) यदि सदस्य का मोबाइल नम्बर फोलियो नम्बर/डीपी आईडी क्लाइंट आईडी के प्रति पंजीकृत है तो सदस्य एसएमएस भेज सकता है : MYEPWD <Space> E-Voting Event Number + Folio No. or DP ID Client ID को 9212993399 पर भेजे।

उदाहरण के लिए		
एनएसडीएल	सीएसडीएल	भौतिक धारण
MYEPWD <Space> IN12345612345678	MYEPWD <Space> 1402345612345678	MYEPWD <Space> XXXX1234567890

2) यदि किसी फोलियो नम्बर/डीपी आईडी क्लाइंट आईडी के प्रति ई-मेल एड्रेस या मोबाइल नंबर पंजीकृत है, तो https://evoting.karvy.com के होम पेज पर सदस्य ''फॉरगेट पासवर्ड'' पर क्लिक करें और फोलियो नम्बर अथवा डीपी क्लाइंट आईडी नम्बर तथा पैन को डाल कर पासवर्ड जनरेट करें।

3) सदस्य कार्वी के टोल फ्री नंबर 1800-34-54-001 पर कॉल कर सकते है।

13- 4) सदस्य evoting@karvy.com पर एक ई-मेल अनुरोध भेज सकते है। तथापि, कार्वी ई-मेल आईडी उपलब्ध होने वाले उन नए सदस्यों को यूजर आईडी और पासवर्ड भेजने का प्रयास करेगा।

14- मतों की अपेक्षित संखया प्राप्त होने के अधीन प्रस्तावों को बैठक की तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2019 से पारित माना जाएगा।

15- संवीक्षक, वार्षिक आम बैठक में मत-पत्र के माध्यम से मतदान के समाप्त होने के तत्काल पश्चात, पहले बैठक में मत-पत्र द्वारा डाले गए मतों की गणना करेगा और उसके पश्चात रिमोट

ई-वोटिंग द्वारा डाले गए मतों को कम्पनी के रोजगार में न होने वाले कम से कम 2 साक्षियों की उपस्थिति में अनलॉक करेगा, और बैठक की समाप्ति से 48 घंटे से पूर्व एक समेकित संवीक्षक की रिपोर्ट तैयार करेगा और उ को कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत करेगा।

मतदान के परिणामों की घोषणा वार्षिक आम बैठक की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर की जाएगी। घोषित परिणामों को संवीक्षक की समेकित रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com और कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर रखा जाएगा। परिणामों को साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों को भी सप्रेषित किया जाएगा।